

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

डेरी विकास विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-02

देहरादून: दिनांक 20 सितम्बर, 2019

विषय- राज्य योजना अन्तर्गत संचालित "08-सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना" योजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-515-17/नियोजन-स0डे0प्रशि0स0पत्रा0/2019-20, दिनांक 19 अगस्त, 2019 के संदर्भ में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/3(150)/-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 29 मार्च, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना" योजना में जनपद नैनीताल के लालंकुआ में सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान योजना की लागत रू० 30.55 लाख के साक्षेप अवशेष धनराशि रू० 6.11 लाख (रू० छः लाख, ग्याहर हजार मात्र) आपके निर्वतन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के वर्णित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
6. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219 (2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
9. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर शासन द्वारा अनुमोदित निर्माण एजेन्सी उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फ़ैडरेशन लि० को उपलब्ध करायी जाय।
11. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

2- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-00-आयोजनागत-102-डेरी विकास परियोजनायें-08-सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-1 के पत्र संख्या-254/3(150)/-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 29 मार्च, 2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)  
सचिव।

संख्या- /XV-2/2018तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार कार्यालय, 'महालेखाकार भवन', कौलागढ़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, दुग्ध को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)।
5. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(वी०एस० पुन्डीर)  
उप सचिव।

आवंटन पत्र संख्या -  
अनुदान संख्या-028

आवंटन आई डी-S19090280007  
आवंटन पत्र दिनांक-20-SEP-2019

लेखा शीर्षक

2404-डेरी विकास  
102-डेरी विकास परियोजनाएं

00--

08-सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान की  
स्थापना


00-

Voted

2	4	0	4	0	0	1	0	2	0	8	0	0
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग					
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता				0	611000	0	611000					
योग				0	611000	0	611000					

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.6,11,000 (Rupees Six Lacs  
Eleven Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

  
20.9.2019  
(वीओएसओ पुन्डीर)  
उप सचिव  
पशुपालन, डेरी, मत्स्य एवं भाषा विभाग  
उत्तराखण्ड शासन।